

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

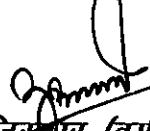
कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / २५२१/२०२२

दिनांक : १२.०८.२०२२

श्री राजबीर सिंह (RJ0221)विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-२०१२ तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-२००५ कम-०२, अलवर को दिनांक १८.०७.२०२२ से २२.०७.२०२२ तक ०५ दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक १७.०७.२०२२ एवं २३.०७.२०२२ से २४.०७.२०२२ के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री सिंह की अनुपस्थिति में विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-२०१२ तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-२००५ कम-०३, अलवर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-२०१२ तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-२००५ कम-०२, अलवर के पद पर ही की गई।

आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.२(४)/२६/१९९६/५५५७

दिनांक : १२.०८.२०२२

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

१. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
२. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-२०१२ तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-२००५ कम-०२, अलवर को उनके पत्रांक ३६८ दिनांक २५.०७.२०२२ के सन्दर्भ में।
३. श्री राजबीर सिंह (RJ0221)विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-२०१२ तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-२००५ कम-०२, अलवर।
४. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-२०१२ तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-२००५ कम-०३, अलवर।


सहायक रजिस्ट्रार